आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
8/3/2021	**आदेश** एस०ए०आर० पुनरीक्षण वाद 121/2006 बुधवा कच्छप द्वारा सुशील टोप्पो एवं मनबोध टोप्पो के विरूद्ध दायर किया गया था। जिसमें उपायुक्त, राँची द्वारा एस०ए०आर० अपील वाद 124R15/2001-2002 में पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। मूलतः विशेष विनियम पदाधिकारी द्वारा एस०ए०आर० वाद संख्या 109/98-99 में विपक्षी सुशील टोप्पो के पक्ष में भू०–वापसी का आदेश पारित करते हुए दखल देहानी हेतु आदेशित किया गया था। इस वाद में मूल आवेदक बुधवा कच्छप की मृत्यु 25.04.2010 को हुइ जिसके पश्चात 17.09.2012 को उनके वारिसों को प्रतिस्थापित करने हेतु आवेदन दिया गया। स्पष्टतः यह आवेदन अधिक विलम्ब से दिया गया था। किन्तु 17.09.2012 को इस न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन को स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात् यह वाद सदस्य, राजस्व पर्षद के न्यायालय में स्थानांतरित किया गया जो पुनः 20.06.2017 को इस न्यायालय में वापस प्राप्त हुआ। उक्त तिथि के बाद से ही आवेदक इस न्यायालय में कभी उपस्थित नही हुए है। विपक्षी क्रमांक 1 एवं 2 के द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाती रही है। दिनांक 25.02.2020 को आवेदक को प्रश्नगत वाद में अपना पक्ष रखने हेतु आदेशित किया गया था परंतु आवेदक के तरफ से कोई कार्रवाई नही की गई। अतः उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर निष्पादित करने का निर्णय लिया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी संख्या –2 मनबोध टोप्पो की मृत्यु 23.01.2000 को हो गई थी। जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र विपक्षी के तरफ से प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में वर्ष 2006 में मनबोध टोप्पो विपक्षी संख्या–2 बनाते हुए यह वाद दायर किया जाना प्रथम दृष्टया विधिसम्मत् नही था। विपक्षी क्रमांक –2 सुशील टोप्पो की मृत्यु 26.01.2007 को हुई जिसके पश्चात् उनकी पत्नी निमी टोप्पो को पक्षकार बनाया गया। निमी टोप्पो की भी मृत्यु 16.06.2014 को हो गई। विपक्षियों के तरफ से 18.07.2016 को इसकी सूचना तथा उनके वारिसों के नाम प्रस्तुत किये गये थे किन्तु आजतक आवेदकों के तरफ से विपक्षी क्रमांक–1 के वारिसों को पक्षकार नही बनाया गया है। इस प्रकार इस वाद	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।

में विपक्षी क्रमांक 1 के वारिसों को उनके मृत्यु के 5 साल के पश्चात् भी प्रतिस्थापित नही की गई है तथा विपक्षी क्रमांक–2 की मृत्यु वाद दायर करने के 6 वर्ष पूर्व ही हो चुकी है। स्पष्टतः इस वाद में आज की तिथि में कोई भी विपक्षी पक्षकार उपलब्ध नही है। आवेदक भी इस न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नही हो रहे है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उन्हें प्रश्नगत् वाद में कोई अभिरूचि नही है। वर्णित परिस्थिति में यह वाद विपक्षियों की मृत्यु के कारण Abet हो चुका है। अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त। 8/3/2022

आयुक्त। 8/3/2022

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.08.08 15:48:43 +05:30
Location: 192.168.1.40